



कार्यालय
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लोक भवन, लखनऊ

Non-I.G.R.S.

आजादी का
अमृत महोत्सव

संख्या

दिनांक



**प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग।**

कृपया श्री संजय सिंह गंगवार, मा० राज्य मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी मिलों के संलग्न पत्र दिनांक 13.08.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर को जनहित में मय स्टाफ अनुदानित कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह पत्र मा० मुख्यमंत्री जी को मिलकर दिया गया है।

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा परीक्षणोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

संलग्नक-यथोक्त

13.08.2025
(सूर्य पाल गंगवार)
सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।

युख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-१

संजय सिंह गंगावार

राज्य मंत्री

गन्ना विकास एवं चीनी मिले
उत्तर प्रदेश



उ० प्र० सचिवालय,

जी-1/4, छठा तल, बापूभवन,
लखनऊ।

दूरभाष (कार्यालय) : 0522-2237287

आवास : 0522-2238668

(सीबीएच) : 0522-2214798

मा० मुख्यमंत्री जी ।

दिनांक

कृपया डॉ सुधीर कुमार शर्मा, प्राचार्य, गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूर्णपुर के प्रार्थना—पत्र का अबलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें इन्होने अवगत कराया है कि गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूर्णपुर वर्ष 1994 में स्थापित हुआ था तथा इस क्षेत्र में एकमात्र महाविद्यालय है, जिसमें बी०ए०, बी०क०म०, एम०ए० एवं बी०एस०सी० कृषि इत्यादि पाठ्यक्रमों के लगभग 2000 से अधिक विद्यार्थी अपना अःय्रयन पूर्ण कर कर रहे हैं। यह महाविद्यालय विगत कई वर्षों से क्षेत्र के शैक्षिक विकास में गहत्वपूर्ण योगदान देने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त कर चुका है। उक्त विद्यालय को शासकीय अनुदान पर लिये जाने हेतु पूर्व में कई बार अनुरोध किये जाने के उपरान्त भी इस दिशा में कोई सार्थक निर्णय नहीं हो पा रहा है, जबकि भान्यता के समय ही यह निर्धारित किया गया था कि आगामी ०३ वर्षों के उपरान्त बाद ही उक्त विद्यालय को अनुदान पर लिया जाना था। इसने वर्ष त्यतीत होने के उपरान्त भी विद्यालय को अनुदान पर लिया जाना सभव नहीं हो पाया है। श्री शर्मा जी द्वारा उक्त विद्यालय को मय—स्टाफ अनुदानित भराने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आपके निर्देशानुसार पत्रावती मा० लक्ष्मि शिथा मंत्री जी के पास विद्याराधीन है।

अतः उक्त पारिस्थितियों के दृष्टिशक्ति अपसे अनुरोध है कि गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूर्णपुर क्षेत्र जनहित में मय स्टाफ अनुदानित कराने हेतु संबंधित को आदेशित करने की कृपा करें।

संलग्नक—यथोक्त।

खाद्

13.08.2026

गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर

जनपद पीलीभीत (उ०प्र०) पिन 262122

(एम०जे०पी०रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध)

Web-www.gkmpooranpur.com, Email- principalgkpgcollege@gmail.com Mob.9412486571, 7017196641

Ref.

Date . . / . / . : . : .

सेवा में,

मा० मुख्यमंत्री जी
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषय:- गन्ना किसानों की कटौती से संचालित महाविद्यालय को मय-स्टाफ अनुदानित महाविद्यालय घोषित करने के सम्बन्ध में,

आदरणीय महोदय,

आपके संज्ञान मे लाना है कि गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरनपुर पीलीभीत (सम्बद्ध एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली) सन 1994 में स्थापित हुआ था, 15 नवम्बर 1994 को महामहिम श्री राज्यपाल महोदय/कुलाधिपति महोदय द्वारा सरथा को मान्यता प्रदान की गयी थी, महाविद्यालय को 3 वर्ष तक निजी संसाधनों से संचालित करना था इसके बाद सरकार द्वारा अनुदान सूची पर लेना था, इसी आशय से महाविद्यालय में उच्च शिक्षा सेवा आयोग से चयनित प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई और महाविद्यालय को अनुदान की प्रत्याशा में वर्ष 2006 तक 1—1 वर्ष का मान्यता विस्तारीकरण किया जाता रहा। महाविद्यालय निरंतर अनुदान की प्रत्याशा में गन्ना कृषकों की गन्ना मूल्य कटौती से संचालित रहा तथा वर्ष 2006 में स्थाई मान्यता के समय इस महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित श्रेणी में ला दिया गया जिस पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आपत्ति भी की गयी तब से लगातार शासन स्तर पर पत्रावली पर आदेश निर्गत होते रहे परन्तु आज तक पत्रावली का निस्तारण नहीं हो सका जबकि बीच मे कई बार अनुदानित महाविद्यालय के स्ववित्तपोषित शिक्षकों का विनियमितीकरण किया गया।

वर्तमान में इस महाविद्यालय में बी.ए. प्रथम वर्ष में 800 सीटें, बी.कॉम.प्रथम वर्ष में 60 सीटें तथा एम.ए. छ. विषय में प्रत्येक विषय में 30—30 सीटें एवं बी.एस.सी. कृषि में 60 सीटें स्वीकृत हैं। इस क्षेत्र में कोई भी शासकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय नहीं है, इस महाविद्यालय की अनुदान की पत्रावली गन्ना आयुक्त उ०प्र०/शिक्षा निदेशक की संस्तुति के साथ महोदय के निर्देश पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के यहाँ लंबित है। इस क्षेत्र के गरीब छात्र-छात्राएं शुल्क न दे पाने के कारण उच्च शिक्षा से बंधित रह जाते हैं। प्रारंभ के बाँहों में इस महाविद्यालय में 132/- रुपये शिक्षण शुल्क लिया जाता था, वर्तमान मे अनुदान न मिलने के कारण 3472/- रुपये शिक्षण शुल्क लेकर महाविद्यालय को संचालित किया जा रहा है। 2015—16 से गन्ना किसानों ने अपने गन्ना मूल्य से कटौती न कराने का निर्णय लिया जिस कारण महाविद्यालय के संचालन में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। महाविद्यालय के पास 21.5 एकड़ भूमि है जोकि महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति/शासन के नाम रजिस्टर्ड है। इस महाविद्यालय में स्वयं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा 23/02/2018 को मेधावी/पुरातन छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में सम्मानित किया जा चुका है तथा आपके आशीर्वाद से 15 नवम्बर 2022 को प्राकृतिक खेती के ऊपर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों के शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया जिसका लाभ क्षेत्र के किसानों विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को प्राप्त हुआ। वर्तमान में महाविद्यालय विश्वविद्यालय, प्रदेश एवं देश में अपनी पहचान बना चुका है।

महाविद्यालय को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। महाविद्यालय में कार्यरत स्टाफ एवं क्षेत्र के जन प्रतिनिधि भी इसके संचालन को लेकर ध्येति हैं कि गन्ना किसानों ने अपने खून पसीने की कमाई से जिस तरह इस महाविद्यालय को स्थापित किया कहीं इसका भविष्य 31 वर्ष बाद अन्यकार में न हो जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जन-प्रतिनिधियों द्वारा महोदय से महाविद्यालय को अनुदानित कराने का अनुरोध किया जा चुका है और तत्कालीन गन्ना आयुक्त महोदय श्री संजय आर. भूसरेहु जी द्वारा प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखकर महाविद्यालय को अनुदानित किये जाने का



गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर

जनपद पीलीभीत (उ०प्र०) पिन 262122

(एम०जे०पी०रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध)

Web-www.gkmpooranpur.com, Email- principalgkpgcollege@gmail.com Mob. 9412486571, 7017196641

अनुरोध किया गया है साथ ही तत्कालीन गन्ना आयुक्त महोदय श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय जी द्वारा भी प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखकर महाविद्यालय को अनुदानित किये जाने का अनुरोध किया गया है, इसके अतिरिक्त कई बार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय की आख्या शासन को प्रेषित की जा चुकी है।

आपके सज्जान में लाना है कि 1994 में स्ववित्तपोषित जैसी कोई भी योजना नहीं थी और 1994 के समस्त महाविद्यालय अनुदान सूची पर जा चुके हैं जबकि विशेष सचिव उच्च शिक्षा द्वारा प्रेषित स्पोर्ट में शासनादेश 11. 11.1997 की बात की जा रही है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अनुदान सूची पर लिए जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जबकि यह महाविद्यालय 11.11.1997 से पूर्व स्थापित है और इसका समस्त स्वामित्व राज्य सरकार के आधीन है। इस महाविद्यालय की स्थापना के बाद से 2006 तक महाविद्यालय को अनुदान की प्रत्याशा में मान्यता का विस्तारीकरण किया गया जबकि 11.11.1997 के शासनादेश एवं मंत्री परिषद् की बैठक के पश्चात् शासनादेश दिनांक 21.08.2000 के बाद भी इस महाविद्यालय की मान्यता का विस्तारीकरण 2006 तक किया जाता रहा तथा इसे स्ववित्तपोषित की श्रेणी में लाया गया जिस पर तब से लगातार शासन को अवगत कराया जाता रहा है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय को अनुदान सूची/अधिग्रहण किया जा सकता है। क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री बाबूराम पासवान एवं गन्ना राज्यमंत्री माननीय श्री संजय सिंह गंगवार द्वारा भी महाविद्यालय को अनुदानित किये जाने का महोदय से अनुरोध किया गया है। महोदय के सज्जान में लाना है कि पूरनपुर ब्लाक एशिया का सबसे बड़ा ब्लाक है। पूरनपुर तहसील/ब्लाक में कोई भी अनुदानित महाविद्यालय स्वतंत्रता से लेकर आज तक स्थापित नहीं हुआ जिससे कि इस क्षेत्र के गरीब छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर सके। इस महाविद्यालय द्वारा आज भी बहुत न्यूनतम शुल्क पर/सरकारी मानकों पर छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करायी जा रही है।

आपके आशीर्वाद एवं सहयोग से महाविद्यालय में बी.एस.सी. कृषि की कक्षाओं के सफल संचालन के लिए 02 करोड़ रुपये की धनराशि गन्ना विभाग द्वारा आविटित की गई है जिसमें 32 लाख रुपये वेतन हेतु हुए। शेष धनराशि से भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। वर्तमान में वेतन आदि पर लगभग 1.5 करोड़ का व्यय भार है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय की समस्त व्यवस्थायें सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहीं हैं एवं वेतन मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

अतः आदरणीय महोदय से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि पत्र में वर्णित समस्त बिन्दुओं एवं परिस्थितियों पर सम्यक एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए गन्ना किसानों द्वारा स्थापित गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरनपुर पीलीभीत को मय-स्टाफ अधिग्रहण करते हुए अनुदान सूची में समिलित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

आशीर्वाद का आकांक्षी।

भवदीय

(डॉ० सुधीर कुमार शर्मा)

प्राचार्य

गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पूरनपुर पीलीभीत।

मो-7017196641, 9410261710

Email- sks.20101971@gmail.com

201

ਪੰਥ

आयुक्ता,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.,
१७, न्यूब्रेरी रोड, डालीबाग,
लखनऊ।

सोपा में

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा,
उ.प.शासन,
लखनऊ।

दिनांक २४.१२.१७

पत्र संख्या: ३५८ / समिति दिनांक १०
विषय: गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूर्णपुर जनपद-पीलीभीत को अनुदान सूची
में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेव

जनपद-पीलीभीत की पूर्णपुर सहस्रील के इस धूसद क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रधार-प्रसार हेतु गन्ना किसानों की कटौती से निर्मित एकमात्र यही एक महाविद्यालय है। गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूर्णपुर की ३५-४० किमी की पश्चिम में स्थित है।

1

शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय में वर्तमान में लगभग 1700 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं जिनमें से अधिकांश नितान्त निर्धन परिवार के हैं, जो किसी प्रकार शासकीय शिक्षण शुल्क ₹.132.00 प्रति वर्ष दे पाते थे, परन्तु महाविद्यालय की आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षण शुल्क ₹.3472.00 प्रति वर्ष हो जाने से निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई छोड़ने पर विवश होना पड़ता है। इस प्रकार इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिला गन्ना अधिकारी/अध्यक्ष, गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर द्वारा उक्त वर्णित परिस्थितियों में महाविद्यालय को अनुदान सूची में लाने/राजकीय महाविद्यालय घोषित कराने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पूरनपुर परिक्षेत्र में एकाग्रता स्वित्त पोषित महाविद्यालय के संचालन में आ रही कठिनाईयों एवं निर्धन छात्र-छात्राओं को कम फीस में उच्च शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत, अनुरोध है कि, गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर जनपद-पीलीभीत को अनुदान सूची में समिलित करने अथवा राजकीय महाविद्यालय घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(संजय आर. मुरारेडडी)

अनुकूल,
गन्ना एवं चौनी, उ.प्र.।

प्रेषक,

आयुक्त,
गन्ना एवं धीनी तथा निबन्धक,
सहकारी गन्ना एवं धीनी मिल समितियाँ,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन.
लखनऊ।

पत्र संख्या: 111-12 / 12/समिति/लखनऊ/दिनांक: 22-05- 2025

विषय:- गन्ना कृषक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जिला-पीलीभीत को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया डॉ. सुधीर कुमार शर्मा, प्राचार्य, गन्ना कृषक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जिला-पीलीभीत के पत्र दिनांक: 09-05-2025 (**छायाप्रति संलग्न**) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गन्ना कृषक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जिला-पीलीभीत को अनुदान सूची में सम्मिलित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या: 348/समिति, दिनांक: 28-12-2017 (**छायाप्रति संलग्न**) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि, जिला-पीलीभीत में गन्ना किसानों की कटौती से सहकारी गन्ना विकास समिति लि., पूरनपुर द्वारा संचालित गन्ना कृषक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जिला-पीलीभीत की स्थापना वर्ष 1994 में की गयी। वर्तमान में इस महाविद्यालय में लगभग 1700 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। उक्त महाविद्यालय वर्ष 1994 से गन्ना किसानों की कटौती से प्राप्त धनराशि से संचालित रहा है। जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत उक्त महाविद्यालय के पदेन अध्यक्ष हैं।

उल्लेखनीय है कि 15 नवम्बर, 1994 को महामहिम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा संस्था को मान्यता प्रदान की गयी थी। महाविद्यालय को 3 वर्ष तक निजी संसाधनों से संचालित करना था इसके बाद सरकार द्वारा अनुदान सूची पर लेना था, इसी आशय से महाविद्यालय में उच्च शिक्षा सेवा आयोग से चयनित प्राचार्य एवं प्रबन्धालयों की नियुक्ति हुई और महाविद्यालय को अनुदान की प्रत्याशा में 1-1 वर्ष का मान्यता विस्तारिकरण किया जाता रहा। महाविद्यालय निरंतर अनुदान की प्रत्याशा में गन्ना कृषकों की गन्ना मूल्य कटौती से संचालित रहा तथा वर्ष 2006 में स्थाई मान्यता के समय इस महाविद्यालय को रघवितपोषित श्रेणी में रखा गया।

वर्तमान में इस महाविद्यालय में बी. ए. प्रथम वर्ष में 800 सीटें, बी.कॉम. प्रथम वर्ष में 60 सीटें तथा एम.ए. छ. विषय में प्रत्येक विषय में 30-30 सीटें स्थीकृत हैं तथा इस क्षेत्र में कोई भी शासकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय नहीं है। प्रारंभ के वर्षों में इस महाविद्यालय में 132/- रुपये शिक्षण शुल्क लिया जाता था, वर्तमान में अनुदान न मिलने के कारण 3472/- रुपये शिक्षण शुल्क लेकर महाविद्यालय को संचालित किया जा रहा है। 2015-16 से गन्ना किसानों ने अपने गन्ना मूल्य से कटौती न कराने



का निर्णय लिया, जिस कारण महाविद्यालय के संचालन में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। महाविद्यालय के पास 21.5 एकड़ भूमि है, जो कि भामहिम श्री राज्यपाल/कुलधिपति/शासन के नाम रजिस्टर्ड है। वर्ष 1994 में स्ववित्तपोषित जैसी कोई भी योजना नहीं थी और 1994 के समस्त महाविद्यालय अनुदान सूची पर जा चुके हैं। प्राचार्य के उक्त पत्र के अनुसार विशेष सचिव, सच्च शिक्षा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में शासनादेश 11-11-1997 की बात की जा रही है, जिसके अनुसार अनुदान सूची पर लिए जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, परन्तु यह महाविद्यालय 11-11-1997 से पूर्व स्थापित है और इसका समस्त स्वामित्व राज्य सरकार के अधीन है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय को अनुदान सूची/अधिग्रहण किया जा सकता है। पूरनपुर तहसील/ब्लाक में कोई भी राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय स्वतंत्रता से लेकर आज तक स्थापित नहीं हुआ, जिससे कि इस क्षेत्र के गरीब छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस महाविद्यालय द्वारा आज भी बहुत न्यूनतम शुल्क पर/सरकारी मानकों पर छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करायी जा रही है।

इस महाविद्यालय को अनुदान सूची में समिलित करने अथवा राजकीय महाविद्यालय घोषित करने हेतु किये गये प्रथाओं के उपरान्त भी स्थिति यथावत बनी हुई है, जबकि वर्ष 1994 तक स्थापित अन्य महाविद्यालय अनुदान सूची में समिलित हो चुके हैं। अनुदान सूची में समिलित न होने के कारण इस महाविद्यालय में कला स्नातक के अतिरिक्त अन्य फैकल्टी का विस्तार एवं परास्नातक कक्षाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है।

जिला-पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के इस वृहद क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु गन्ना किसानों की कटौती से निर्भित यही एकमात्र महाविद्यालय है। गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर की 35-40 किमी. की परिधि में अन्य कोई शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय में वर्तमान में लगभग 1700 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें से अधिकांश निर्धन परिवार के हैं, जो किसी प्रकार शासकीय शिक्षण शुल्क ₹.132.00 प्रति वर्ष दे पाते थे, परन्तु महाविद्यालय की आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षण शुल्क ₹.3472.00 प्रति वर्ष हो जाने से निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई छोड़ने पर विवश होना पड़ रहा है। इस प्रकार इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिला गन्ना अधिकारी/अध्यक्ष, गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर द्वारा उक्त वर्णित परिस्थितियों में महाविद्यालय को अनुदान सूची में लाने महाविद्यालय घोषित कराने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पूरनपुर क्षेत्र में एकमात्र स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के संचालन में आ रही कठिनाईयों एवं निर्धन छात्र-छात्राओं को कम फीस में उच्च शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत अनुरोध है कि गन्ना कृषक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जिला-पीलीभीत को अनुदान सूची में समिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

आयुक्त, गन्ना एवं धीनी तथा निवन्धक,
सहकारी गन्ना एवं धीनी मिल समितियाँ, उ.प्र.।



पत्र संख्या: 111-12 / 12 / समिति / लखनऊ / दिनांक: 22-05-2025

प्रतिलिपि डॉ. सुधीर कुमार शर्मा, प्राचार्य, गन्ना कृषक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जिला—पीलीभीत को उनके पत्र दिनांक: 09-05-2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

||| ॥१॥ १२०२५
(डॉ. वी.बी. सिंह)
अपर गन्ना आयुक्त (समितियाँ)

कार्यालयीय विद्यालय उच्च शिक्षा अधिकारी, वैलो-मुगदावाद पांडुली
कार्यालयीय अध्यक्ष बोरो, वैलो विद्यालय, शहरीपुर में कैलाल विद्यालय
कार्यालयीय अध्यक्ष बोरो, वैलो विद्यालय, शहरीपुर, असाम।

四百一

20

ପ୍ରକାଶ ମହିନେ ପରିଚୟ
ପରିଚୟ ମହିନେ ପରିଚୟ
ପରିଚୟ ମହିନେ ପରିଚୟ
ପରିଚୟ

३५४ अप्रैल १९७८ विद्युत विभाग के अधीन परिवहन

139

卷之四

✓20-8 -4

1

卷之三

30

the two forms although
similar.



गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर

जनपद लोलीगाँव (८०५०) पिन २६२१२२
(जनपद लोलीगाँव निवासियां कम कर्म के साथ)

89

8

• ३८४ •

一四

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

+ 有外傳書 - 有傳書

੧੮

रिक्ता निर्देशक (उच्च विद्या) उत्तर
हिन्दी पाठ्यन् अनुसार
उच्च विकास निर्देशक
प्रधानमंत्री।

विषय- यमा कृष्ण महापितामह, पुरुषपुर, जनपद पीतीभीत को अनुदानित महापितामह पोखिल कामे के समाचार है।

三

उपर्युक्त विषयक अदान कराया है कि गन्ना कृषक पत्राक दो कांव / 2094 / 2019-20
दिनांक 15.04.2019 द्वारा शासन के पुरुष संख्या आई040-13 / सत्रां-5-2019-40(66)
/ 2018 दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को रद्दी में प्राप्तार्थी/आदान गन्ना कृषक महाविद्यालय,
पूरनपुर, पीलीभीत को प्रकरण में अपना पत्र प्रस्तुत करने के विरोध दिये गये जिसके उल्लं
प्राप्तार्थी एवं अदान, गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर, पीलीभीत का पत्राक 917 दिनांक
15.04.2019 (छायाचित सत्त्वगम) प्राप्त हुआ है जिसमें अदान कराया गया है कि गन्ना कृषक
महाविद्यालय पूरनपुर पीलीभीत वर्ष 1994 में स्थापित हुआ तत्समय स्ववित्तप्रौद्योगिक सत्त्वगम
का कोड प्राविद्यान शासन सत्र पर नहीं था अतः किन्हीं कारणों से उसका महाविद्यालय
अनुदान सूची में रजिस्टरेट नहीं हो पाया, इस सम्बन्धमें महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा
अपेक्षी बाट प्रयास किये गये तथा उस समय महाविद्यालय में उच्चतर विकास सेवा आयोग स
प्राप्तार्थी तथा विकास की नियुक्ति की गई ; लाख टी दह भी अदान कराया गया है कि
महाविद्यालय को अनुदान सूची पर ले जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध समिति की बैठक में भी 20.06.
2010 पारित किया जा बूका है महाविद्यालय को अनुदान सूची में रजिस्टरेट जरने का
अनुरोध किया गया है तथा इस आशय का प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध समिति की बैठक में
पारित कराकर प्रस्तुत करने का आवश्यकन दिया गया है ; अदान कराया गया है कि-
गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, पीलीभीत गन्ना कृषकों के गन्ना भूस्त से कटीयी
द्वारा संधारित तथा स्ववित्त प्रौद्योगिक सत्त्वगम है।

२ सरथान मे उच्चतर शिला सेवा आयोग द्वारा नियमित विवरणानुसार प्राधार्य एवं प्रवक्ता कार्यसत रहे हैं तथा काफ़ प्रबलतापूर्ण अपनान कार्यसत ।-

प्राधार्य/प्रवक्ता का पदनाम व जारीरत अवधि				
क्र.सं.	प्राधार्य/प्रवक्ता का नाम	पदनाम	जारीरत अवधि	
1	डॉ. गहेंद्र सिंह	प्राधार्य	जुलाई 1996 से 30.06.2009 संयोगिता तक	
2	डॉ. दीरेन्ट कुमार शर्मा	प्रवक्ता अधिकारी	जुलाई 1997 से अधिकारी	
3	डॉ. लालान सिंह	प्रवक्ता उद्य.	जुलाई 1997 से अप्रैल 2013 तक (अन्यदि रोकारत हो गये हैं)	
4	डॉ. नसरीन बानो	प्रवक्ता हिन्दी	अगस्त 1999 से अधिकारी	

३ महाविद्यालय की भूमि का कुल क्षेत्रफल ८.६५ एकड़ है। जिसमें लगभग २५ एकड़ में भवन निर्मित है। सूच्य है कि भूमि की रजिस्ट्री में छोटा पक्ष में महाविद्यालय राज्यपाल, राज्य सरकार द्वारा गन्ता विभाग अंकित है। भूमि की उत्तीर्णी ओर प्रति भी सतह नहीं है। भवन गे-

गुरु वरेला-मुरादाबाद परिषेत्र, वरेली
गुरु वरेला-मुरादाबाद परिषेत्र, वरेली

2019-元

१०८ अनुवाद संस्कृत से हिन्दी में विजय कुमार और श्रीमद्भगवत्

४ अप्रैल १९९५ को (१)।
५ अप्रैल १९९५ को २०८ घण्टी (१०० बजे बित्ती), गार्डी ने बताया कि
७५० रुपये का वापसी नहीं हुआ था और उन्होंने बताया कि वापसी की ओर से २५०
रुपये का लापता राशि भरा जाएगा। इसके बाद गार्डी ने बताया कि वापसी की
दिनी दिनी राशि भरा जाएगी।

३ ग-२ कुलकर्णी विद्यालय वो इनुटा कर्मी - रा. १०० + विद्यालय देखते करने के सम्बन्ध में ग-२ शायुक्त उदाहरण प्रदर्शन ३४८/५ की दिन ५. २८.१२.२०१७ द्वारा प्रभुवा एवं उच्च दिव्य द्वारा से जारी किए गए अनुच्छेद १०३ है

३५८ अनुवाद संस्कृत-हिन्दी वर्णना

५३८ अस्ति विद्युता विद्युता विद्युता विद्युता विद्युता विद्युता
५३९ अस्ति विद्युता विद्युता विद्युता विद्युता विद्युता विद्युता

10. 100% of the patients had a history of smoking, 75% were male, and 50% were non-Hispanic white.

१०८ विष्णु वाचना विष्णु वाचना विष्णु वाचना विष्णु वाचना

१०८ विजय राजा के नाम से जुड़ाना चाहिए। यह भी अच्छा है।

1. **प्राचीन विद्या** का अर्थ है—
विद्या का प्राचीन विद्या

4. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$ or $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$

१०८ विषयात् अन्यत्र विवरण नहीं हो सकते।

12 3000 12 3000 12 3000 12 3000 12 3000 12 3000 12 3000 12 3000

१०५ - मारी त्रिलोकीया विनाया विनाया विनाया विनाया

19. *Constitutive* *and* *inducible* *enzymes* *in* *Escherichia* *coli*

19. *Asplenium nidus* L. - *Asplenium nidus* L. - *Asplenium nidus* L.

1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24

संख्या ई-8304 जी०एस०
लाइनॉ-227132, दिनांक नवम्बर ३, 1994

प्रेषकः

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्यालय की
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
सहेलाएँड विश्वविद्यालय,
बैली।

महोदय,

ग्रामके पक्ष संख्या स०वि०/सम्बन्धा०/१५४/१९४३२-३४ दिनांक
जुलाई २१, १९९४ के सदर्भ में मुझे अप्से यह कहने का निर्देश था कि
कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-
१९७३ की धारा ३७(२) के अधीन गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूर्णपुर
जिला पीलीभीत को स्थानक ल्लतर पर हिन्दौ (भाजा एवं साहित्य),
कोरीजी (सामान्य एवं साहित्य), बर्धाराल, समाजारास्त्र, राजनीतिकाल
एवं उर्दू विषयों में दिनांक १०.१०.१४ से तीन बर्षों की अधिकारी के लिए अस्थाई
सम्बन्धों की खीकृति इस राज्य के साथ प्रदान की है कि बागायी सब्र
तक महाविद्यालय वपना निजी भवन बनाकर पूर्ण कर ले।

भाबदीय,

८०/-

कुलाधिपति के विशेष कार्यालय

सहेलाएँड विश्वविद्यालय
बैली।

पत्रांकः स०वि०/सम्बन्धा०/१०५०/१५४/६०३

दिनांकः १६.११.१९९४

प्रतिलिपि पुर्वन्धाक, पुरव्वा समिति, गन्ना कृषक महाविद्यालय,
पूर्णपुर (पीलीभीत) को सूचनार्थी तथा आवश्यक कार्यालय हेतु डेंगित।

कुलसचिव
ठा०/क०बी०सि०

प्रेषक

धंसा-३-८५३।
गोपनीय
महाराज, दिनांक १९.११.१९९८,
(पिं पोड म. ३३७१३२)

२५
६०

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा जयोतिषाचार्य रूक्षेशविहार संबंधी
बरेसी।

भवद्वय,

मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ ते कि माननीय कुलाधिपति भवद्वय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धरा-३७(२) के अधीन गन्ता कृषक महानियालय, पुरनपुर, जिला पीलोमीत को स्नातक स्तर पर काला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी (भाषा एवं माहित्य), अंग्रेजी (सामाज्य एवं साहित्य), अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उद्योग एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में दिनांक १.७.९७ से ३०.६.९८ तक की कार्यतार स्वीकृति एवं दिनांक ०१.७.९८ से ले वर्ग की अवधि के स्तर अमर्दाई सम्भवता के विस्तरण की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

विश्वविद्यालय इस यह सुनिश्चित कराय जाएगा कि शैक्षिक पर्यांग के अनुसार शैक्षिक दिवसों की अवधि को पूर्ण करा लिया गया है।

भवद्वय,

(डा० हरशरण दास)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित द्वे सूचनार्थ एवं आवश्यक अर्थवाही हेतु प्रेषित :—

- १.
 - २.
 - ३.
 - ४.
- सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा अधीक्षा, त०प्र०-१८-ए, न्याय मार्ग, (हेस्टिंग रोड) इलाहाबाद।
प्रमाण घंटित, उत्तर प्रदेश शिक्षन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
मिट्टेश्वर, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तालयाद।
प्रबन्धालय (प्रान्तार्गत), गन्ता कृषक मानविकालय, पुरनपुर पीलोमीत।
कम्प्यूटर सेल, राजानगर, लखनऊ।

(डा० हरशरण दास)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

(१८)

पंचा. २७८४/पा.एस.

लखनऊ, दिनांक २५.०६.२०००

(प्रिय कोड नं. २२७१३)

प्रेषक

मो. राज्यालय / कुलधिकारि के विशेष संविवेचन

संलग्नक

पंचा. मे,

विवरण

कुलधिकारि
पंचालय के अधीन सना कृषक गहनिकालय,
भारती।

प्रतिवेदन

मुझे आपने यह चढ़ाने पर निर्देश दिया है कि पार्वतीय कुलधिकारि भारतीय में उत्तर प्रदेश राज्य गहनिकालय अधिनियम, १९५३ की नं. ३७(२) के अधीन सना कृषक गहनिकालय, पूर्णागढ़, गोलीगढ़ी से स्नातक सत्र पर कला अधिकार के अन्तर्गत हिन्दू धर्म एवं साहित्य, औद्योगिक गहनिकालय, रामगढ़ालय, अर्द्धगढ़, शशनीतिशालय एवं अन्य विद्यालयों में दिनांक ०१.७.२००० से ज्ञाती ०२ वर्ष तक अधिकारी के नियम आवाइ गमनकाल के विवरण की समीकृति सहर्ष प्रदर्शन कर नहीं हो।

प्रबोधन

(अनीत सिंह)
कुलधिकारि के विशेष भवित्व।

अधिनियम विवरणित वो गृहार्थी एवं आवश्यक कार्यालयों के नियम :-

१. शिक्षा, उत्तर प्रदेश सेवा आवेदन, ३०प्र०-४८०, अहम वर्षी, (सेवार्ग गोड), इलाहाबाद।
२. साहित्य, उत्तर प्रदेश गासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
३. निर्देशक, उत्तर प्रदेश, ३५व शिक्षा नियेशालय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
४. प्रवक्तारालय, सना कृषक गहनिकालय, पूर्णागढ़, गोलीगढ़ी।
५. खानादार गोड, गोलीगढ़, लखनऊ।

३१
२०/६/२०००

(अनीत सिंह)
कुलधिकारि के विशेष भवित्व।

संज्ञपाल राधियालाय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-227132

1640

रांगड़ा-ई.रा./ बी.ए.रा.
दिनांक 29 जुलाई, 2002

प्रेषण,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा गौ,

कुलाधिपति,

गहान्त्रा ज्योतिषापुले राजेलयाण्ड विश्वविद्यालय,
बरेछी।

माहोदय,

आपके पत्र सं० रु०पि०/राज्य०/२००१/१५०५-०९ दिनांक 27.12.2001 के बे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय 1973 की धारा 37(2)के अधीन गव्वा स्तर पर कला संकाय में हिन्दी (सामाज्य/साहित्य), अंग्रेजी (सामाज्य/साहित्य), दिनांक 1.7.2002 रो आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिए अरथात् सम्बद्धता के अवधि विस्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय द्वारा इस अवधि में यू०जी०सी०/शासन द्वारा निर्धारित अहंताधारी शिक्षकों वर्गी नियुक्ति कर उनकी नियुक्ति पर कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त कर दिया जायेगा, अन्यथा उसके बाद राज्यविद्यालय विस्तरण वही किया जायेगा एवं सोरायटी का नवीनीकरण कराकर उसकी प्रति शासन एवं महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के तीन माहों के भीतर उपलब्ध करा देजा।
2. संरक्षा द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रयोग फीस, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में शासनादेश: 1960/राज्य-2-97(85) 97, दिनांक 11.11.97 के अनुसार या अविष्य में राज्य-राज्य पर जारी शासनादेश स्था विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त गहाविद्यालय द्वारा शासनादेश के प्रविधानों का पूर्णलक्षण पालन किया जा रहा है।
3. संरक्षा विश्वविद्यालय वर्गी परिवियमायली में उत्तिलिमित अरथात् सम्बद्धता से राज्यविद्यालय का अनियार्थ रूप रो अवृपालन करेगी।
4. संरक्षा निरीक्षण नण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी।

भवदीय

(राजेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि विज्ञलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, हलाहालाद।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य, गव्वा कृषक गहाविद्यालय, पूरनपुर, पीनीभीत।
5. कम्प्यूटर सेवा, राजभवन, लखनऊ।

(राजेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

अधि प्राप्तिकर्ता के नाम पर अधार, सीख एवं
प्रधारण को पता की जाए। अनुकूल आवश्यकताएँ दें।
उपलब्ध कराए।

०६/०८/०२
राजेश
कुमार

राजस्थान सरकारी लग्जरी, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ २२७१३२

५१५

मुख्यमंत्री स. ४६५८ / अनुसूचि
दिनांक १२/८/१० / २००६

प्रेषक,

की राजभास्तु / मुख्यमंत्रिता के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

युजलसचिव,
महात्मा ज्योतिश युले राजभास्तु विश्वविद्यालय,
दरली।

महोदय,

आपके पत्राक. छ०५००/सम्ब०/८९(१)/२००६/८३६६-६० दिनांक २०-६-२००६ के गदाम में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति भहोदय ने ७०४० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, पीलीभीत को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तरात हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, उर्दू राजनीतिशास्त्र एवं सामाजिकशास्त्र विषयों में स्वयंसेवित पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०५-०७-२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।-

१- संस्था उच्च शिक्षा व्यास द्वारा जारी शासनादेश सख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-शमय पर इस दिपय में निर्णीत शासनादेशों का पालन करेगी।

२- यदि संस्था व्यास विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्यास निधारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो ज०५० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधिकानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की मई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

मध्यदीय,

(विजय कुमार रिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निनाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबंदवाही हेतु प्रेषित।-

१- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३- प्रदन्धक/प्राचार्य, गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, पीलीभीत।

सुनील कुमार रिंह
(विजय कुमार रिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव